राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
आयुक्त, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र जयपुर
फोनः- 0141-5196302,310 फैक्स 5196317

क्रमांक एफ 19(1)(276)मविका/2012-13/7787-852 जयपुर, दिनांक 21/2/13
21.2.13

1. जिला कलेक्टर,
   समस्त।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   जिला परिषद्, समस्त।

विषय :- 1 मार्च 2013 को महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष ग्राम सभा के आयोजन के संदर्भ में।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि प्रतिवर्ष 1-8 मार्च को महिला सप्ताह एवं 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस अवसर पर विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को महिला सशक्तिकरण की मुख्य धारा में जोडने, महिलाओं को उनसे संबंधित सामाजिक, स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जैण्डर आदि मुददों के प्रति जागरूक करने तथा समुदाय में इन मुददों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने के उददेश्य से 1 मार्च 2013 को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित की जावेंगी।

साथ ही 19 नवंबर 2012 को आयोजित विशेष ग्राम सभा में लिए गये निर्णयों की पालना सुनिश्चित करते हुये निम्न ऐजेण्डा के अनुसार दिनांक 1 मार्च 2013 को सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा में आयोजित कराना सुनिश्चित करावें।

1 मार्च 2013 को महिला सशक्तिकरण हेतु ग्राम सभा के आयोजन का एजेण्डा

1. लड़कियों का घटता लिंगानुपात पर चर्चा :-
   - कन्या भ्रूण हत्या पर रोक
   - कन्या के जन्म पर उत्सव मनाना
2. सुरक्षित मातृत्व :-
   - संस्थागत प्रसव को बढावा देना।
   - महिलाओं में एनीमियां कम करने हेतु आयरन गोली लेने के लिए जागरूकता बढाना।
   - गुणवत्तापूर्ण मातृ पोषण के बारे में जानकारी विकसित करना।
3. शिशु मृत्यु दर में कमी :-
   - संस्थागत प्रसव को बढावा देना ताकि दक्ष जन्म सहायिका द्वारा प्रसव सुनिश्चित हो सके।
   - कोलस्ट्रम फीडींग हेतु जागरूकता बढाना।
   - संपूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहन।

4. **जनसंख्या स्थिरीकरण :–**
   - परिवार नियोजन का प्रचार–प्रसार

5. **बाल विवाहों की रोकथाम :–**
   - बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम 2006 का क्रियान्वयन।
   - बाल विवाह रोकथाम हेतु सामुदायिक स्तर पर समझाईश व मानसिकता बदलाव।

6. **बालिकाओं का कम से कम कक्षा 10 तक ठहराव :–**
   - बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रचार–प्रसार।
   - सभी स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय तथा पेयजल सुविधाऐं सुनिश्चित करना।

7. **महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण**
   - बालिकाओं एवं महिलाओं को स्वयं की सुरक्षा हेतु क्षमतावर्धन एवं वातावरण निर्माण
   - त्वरित कार्यवाही एवं निगरानी के लिए समुदाय का सहयोग लेना।
   - घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 के संबंध मे जागरूकता फैलाना

8. **महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण**
   - ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के गठन हेतु प्रचार–प्रसार।
   - ग्रामीण गरीब महिलाओं को तकनीकी कौशल, वित्तीय सेवाओं के बारे में जानकारी का प्रचार–प्रसार।

अतः महिला सशक्तिकरण के प्रति लोगों में जागरूकता, गंभीरता एवं संवेदनशीलता बढाने के उददेश्य से ये ग्राम सभाऐं दिनांक 1 मार्च 2013 को सभी ग्राम पंचायतों पर आयोजन हेतु संबंधित को उचित दिशा–निर्देश जारी कराने का श्रम करावें। बाल विवाह एवं कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु ग्राम सभा में संलग्न शपथ ग्रहण भी करायें।

आयुक्त एवं शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य सचिव
पंचायती राज एंव ग्रामीण विकास विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

बाल विवाह रोकने हेतु शपथ

'' मैं .... शपथ लेती/लेता हूं कि मैं अपने लड़के का 21 वर्ष एवं लड़की का 18 वर्ष पूर्व विवाह नहीं करवाऊंगी/करवाऊंगा और ना ही किसी 'बाल विवाह में भाग लूंगी/लूंगा तथा आस-पास बाल विवाह होने की संभावना होने पर जिला प्रशासन व उपखण्ड अधिकारी को सूचित करूंगी/करूंगा।''

कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु ग्राम सभा में ली जाने वाली शपथ

मैं शपथ लेती हूं/लेता हूं कि, समाज में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास करूंगा/करूगीं। यदि कहीं भी कन्या भ्रूण हत्या का जघन्य अपराध होते हुये देखता हूं/देखती हूं तो उसे रोकने का प्रयास करूंगा/करूगीं। समाज को कन्या भ्रूण हत्या मुक्त बनाने का प्रसास करूंगा/करूगीं।